न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकंला जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – ओमप्रकाश (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 259/2026
दायर दिनांक – 19.03.2026

उनवान

1. रामसुख पुत्र खाना जाति गुर्जर निवासी आमलीबारेठ तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा राजस्थान। ——— प्रार्थी

बनाम

1 लक्ष्मण पुत्र जगरूप जाति गुर्जर निवासी आमलीबारेठ तहसील फूलियकलां जिला भीलवाड़ा राजस्थान।
2. श्रीमान् तहसीलदार साहब फूलियाकलां। ———(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–
प्रार्थी अधिवक्ता—— श्री राहूल साहू

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

दिनांक – 06.05.2026

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम आमली बारेठ पटवार हल्का बालापुरा भू अभिलेख निरीक्षक बांसेड़ा तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की खतौनी सं. नई 345 व पुरानी 317 में आराजी नं 849 रकबा 0.1600 है0, खतौनी सं. नई 346 व पुरानी 362 में आराजी नं 850 रकबा 0.2400 है0, खतौनी सं. नई 347 व पुरानी 359 में आराजी नं 2731/851 रकबा 0.1000 है0 कुल कीता 03 कुल रकबा 0.50है0 स्थित है।** उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसीगण हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टिं से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करांने का हकदार हैं अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी के न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम आमली बारेठ पटवार हल्का बालापुरा भू अभिलेख निरीक्षक बांसेड़ा तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की खतौनी सं. नई 345 व पुरानी 317 में आराजी नं 849 रकबा 0.1600 है0, खतौनी सं. नई 346 व पुरानी 362 में आराजी नं 850 रकबा 0.2400 है0, खतौनी सं. नई 347 व पुरानी 359 में आराजी नं 2731/851 रकबा 0.1000 है0 कुल कीता 03 कुल रकबा 0.50है0** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक **बांसेड़ा** को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। विवादित सीमा मे आने वाले खातेदार को पक्षकारान नही बनाने की स्थिति मे, किसी भी न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में तथा राजहित प्रभावित होने की दशा मे, किसी पक्षकारान की मृत्यू हो जाने से पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। उक्त पत्थरगढी के दौरान किसी विपक्षी/अन्य खातेदार के कब्जे वाली आराजी में पत्थरगढी हो जाती है तो उक्त आराजी प्रार्थी के स्वामित्व का घोतक नही है। अतः प्रार्थी को इच्छित अनुतोष प्राप्त करने हेतु विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना होगा। बैंक हित अप्रभावित रहेगें। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक **06.05.2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकंला, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां, जिला–भीलवाड़ा